न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

रेफरेंस प्रार्थना पत्र सं. : 09/2016

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

ब ना म

अप्रार्थी

चन्द्राराम पुत्र पूराराम जाट निवासी दाँतीवाडा।

राजस्व निगरानी अन्तर्गत धारा 82, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध ग्राम दाँतीवाडा तहसील जोधपुर के खसरा नं0 601 गैर मुमकिन नाडी में अप्रार्थी को 1000 वर्गगज का मकान–बाड़ा के रूप में तहसीलदार, जोधपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक तथा उसकी पालना में जारी सनद दिनांक 31.12.2002 व नामान्तरकरण सं0 748 स्वीकृत किया गया को निरस्त करने बाबत्।

रेफरेंस प्रार्थना पत्र सं. : 10/2016

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

ब ना म

अप्रार्थी

भीकाराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी दाँतीवाडा, तहसील जोधपुर।

राजस्व निगरानी अन्तर्गत धारा 82, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध ग्राम दाँतीवाडा तहसील जोधपुर के खसरा नं0 601 गैर मुमकिन नाडी में अप्रार्थी को 1000 वर्गगज का मकान–बाड़ा के रूप में तहसीलदार, जोधपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक तथा उसकी पालना में जारी सनद दिनांक व नामान्तरकरण सं0 748 स्वीकृत किया गया को निरस्त करने बाबत्।

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक सरकारी पैरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री अशोक चौधरी उपस्थित।

आदेश

दिनांकः 05.06.2018

उक्त दोनों रेफरेन्स प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./2552–2553/2008/जिला जोधपुर निर्णय दिनांक 04.10.2012

इस निर्देश के साथ प्राप्त हुए कि निर्णय के पैरा सं0 7 में बिन्दु संख्या 1. – खसरा नम्बर 601/2 मिन 1000 वर्गगज में से 900 वर्गफुट (30 गुणा 30) भूमि अप्रार्थी भीकाराम द्वारा सामुदायिक भवन बनाने हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की गयी थी जिसका नामान्तरकरण सं0 751 दिनांक 06.08.2003 को राज्य सरकार के पक्ष में स्वीकृत हो चुका है। और बिन्दु संख्या 2. – वादग्रस्त खसरा नं0 601 रकबा 24.02 बीघा में से 5 बीघा में राजीव गांधी पाठशाला व पानी के दो टैंक बने है और भूमि पर बाउंड्री दीवार बनी है।

पैरा संख्या 8 में अंकित अभिमत के साथ हस्तगत दोनों रेफरेन्स जिला कलक्टर जोधपुर को इस निर्देश के साथ लौटाये जाते है कि यथा वर्णित तीनों बिन्दुओं पर इस न्यायालय द्वारा व्यक्त अभिमत पर अपनी जाँच रिपोर्ट व टिप्पणी के साथ, यदि कोई आवश्यक हो तो रेफरेन्स अपनी अभिंशषा के साथ मण्डल को पुनः प्रस्तुत करें।

उक्त दोनों प्रकरणों में पूर्व निर्णय जिला कलक्टर जोधपुर के न्यायालय राजस्व निगरानी सं0 08/2017 व 09/2017 निर्णय दिनांक 06.02.2008 को किया गया था। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के आदेश क्रमांक 112 दिनांक 28.01.2016 द्वारा इस न्यायालय को सुनवाई हेतु मुंतकिल की गई। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नियमित सुनवाई प्रारम्भ की गई।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत दोनों रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र तहसीलदार जोधपुर को प्रेषित किये गये है। दोनों ही रेफरेन्स प्रकरणों में वादग्रस्त भूमि और विवाद का मुख्य बिन्दु समान है इस न्यायालय द्वारा भी हस्तगत दोनों ही प्रकरणों को इस एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है इस निर्णय की एक प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावें।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रेफरेन्स/एल.आर./2252–53/2008/जोधपुर निर्णय दिनांक 04.10.2012 यह निर्देश दिये कि उपरोक्त निर्णय पैरा सं0 7 व 8 में अंकित अभिमत के साथ दोनों रेफरेन्स जिला कलक्टर जोधपुर यथा वर्णित तीनों बिन्दुओं पर इस न्यायालय द्वारा व्यक्त अभिमत पर अपनी जांच रिपोर्ट एवं टिप्पणी के साथ यदि आवश्यक हो तो रेफरेन्स अपनी अभिशंषा के साथ मण्डल में पुनः प्रस्तुत करें।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 04.10.2012 के बिन्दु सं0 7 व 8 दिये गये निर्देश की पालना में तहसीलदार जोधपुर से मौजा दाँतीवाड़ा के खसरा नं0 601 की मौका रिपोर्ट तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त की गयी जो पत्रांक कोर्ट/2016/1272 दिनांक 20.07.2016 व 87 दिनांक 27.02.2018 के द्वारा प्राप्त हुई।

दोनों प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री अशोक चौधरी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम दाँतीवाड़ा के खसरा नं0 601 किस्म गै0 मु0 नाडी में अप्रार्थी के पिता के समय से पुराना कब्जा चला आ रहा था। उसके बाद अप्रार्थीपक्ष का कब्जा है। पुराना कब्जा होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार अप्रार्थीगण के पक्ष में 1000–1000 वर्गगज भूमि का नियमन करते हुए सनद जारी की गई तथा नियमन होने के पश्चात् नामान्तरकरण सं0 748 के जरिये

अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो चुका है और वर्तमान में अप्रार्थीगण अपने परिवार सहित निवास कर रहे है। उक्त भूमि का नियमन राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिक अब्दुल रहमान बनाम सरकार में जो निर्देश दिये वो लागू नहीं होते है। अतः दोनों रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र निरस्त करने योग्य है।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि उक्त भूमि का आबादी के लिये भूमि आवंटन करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा भूमि आवंटन का प्रस्ताव भी भेजा जाना बताया है।

हमने अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत मौखिक बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का भी अवलोकन किया। इन दोनों प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिये गये बिन्दुओं पर तहसीलदार जोधपुर से राजस्व रेकर्ड व वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गयी।

पैरा संख्या 7 :–

बिन्दु संख्या 1 – खसरा नम्बर 601/2 मिन 1000 वर्गगज में से 900 वर्गफुट (30X30) भूमि अप्रार्थी भीकाराम द्वारा सामुदायिक भवन बनाने हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की गयी थी जिसका नामान्तरकरण सं0 751 दिनांक 06.08.2003 को राज्य सरकार के पक्ष में स्वीकृत हो चुका है।

तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 27.02.2018 के अनुसार – ग्राम दाँतीवाड़ा के खसरा नं0 601 रकबा 23.02 बीघा वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है जिसकी किस्म वर्तमान गै0 मु0 नाडी है इसी खसरे में पूर्व में नामान्तरकरण सं0 748 दिनांक 03.03.2003 द्वारा खसरा नं0 601/1 रकबा 1000 वर्गगज अप्रार्थी चन्द्राराम पुत्र पूराराम जाति जाट तथा खसरा 601/2 रकबा 1000 वर्गगज भीखाराम पुत्र पूराराम जाट के नाम दर्ज हुआ। इसके पश्चात् नामान्तरकरण सं0 751 के द्वारा खसरा नं0 601/2 में से 900 वर्गफुट भूमि सिवाय चक राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण की गयी जिसमें मौके पर सभा भवन बना हुआ है।

बिन्दु संख्या 2 – वादग्रस्त खसरा नं0 601 रकबा 24.02 बीघा में से 5 बीघा में राजीव गांधी पाठशाला व पानी के दो टैंक बने है और भूमि पर बाउंड्री दीवार बनी है।

तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 27.02.2018 के अनुसार – मौजा दाँतीवाड़ा के खसरा नं0 601 रकबा 23.02 बीघा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज किस्म नाड़ी अंकित है। इस भूमि में राजीव गांधी पाठशाला व पानी के दो टैंक बने है और भूमि पर बाउण्ड्री दीवार बनी है। जिसके लिये कोई आवंटन नहीं है।

ग्राम पंचायत खातियासनी ने दिनांक 17.02.2009 आबादी भूमि राज्य सरकार सरकार घोषित करती है तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आदिन तक आबादी घोषित नहीं की गई है। इस संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से इस आशय की सूचना चाही गई कि ग्राम दाँतीवाड़ा के खसरा नं0

601 किस्म गै0 मु0 नाडी में आबादी विस्तार हेतु कोई प्रकरण विचाराधीन है या नहीं, तो जोधपुर विकास प्राधिकरण ने अपने पत्रांक संख्या 1081 दिनांक 16.05.2018 के द्वारा अवगत कराया कि ग्राम दाँतीवाड़ा के खसरा नं0 601 कुल रकबा 23.02 बीघा में आबादी विस्तार हेतु कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

पैरा संख्या 8 :–

तहसीलदार जोधपुर ने अप्रार्थी चन्द्राराम व भीकाराम को तहसीलदार, जोधपुर ने राज्य सरकार के परिपत्रों का हवाला देते हुए दोनों को एक–एक हजार वर्गगज सनद जारी की जारी सनद भूमि की किस्म गै0 मु0 नाडी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(IV) में स्पष्ट वार्णित है कि लोक उद्देश्य प्रकृति की भूमि पर खातेदारी अधिकार सृजित नहीं हो सकते है।

इसी प्रकार सिविल अपील संख्या 1132/2011 जगपालसिंह व अन्य बनाम स्टेट पंजाब निर्णय दिनांक 28.01.2011 व 03.05.2011 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि सभी राज्य सरकार लोकहित के उद्देश्य के गांवो में भूमियो पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जावें।

–:आदेशः–

अतः हमारे विनम्र मतानुसार ग्राम दाँतीवाड़ा तहसील जोधपुर में स्थित आराजी खसरा नं0 601 रकबा 24.02 बीघा किस्म गै0 मु0 नाडी में जारी दोनों अप्रार्थीगण चन्द्राराम, भीकाराम पुत्र पुराराम जाति – जाट, निवासी – दाँतीवाड़ा, तहसील जोधपुर को 1000–1000 वर्गगज जो सनद जारी की गई के तहत ग्राम दाँतीवाड़ा तहसील जोधपुर के स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 748 जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 03.03.2003 को किया गया व तहसीलदार जोधपुर द्वारा जारी सनद को निरस्त करने हेतु प्रकरण पुनः अभिशंषा के साथ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावें।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर